



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.) 482 004

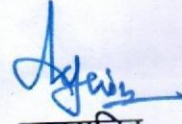
कार्यालय : 2681778
निवास : 2681723
पी.बी.एक्स { : 2680771
 : 2681773
फ़ैक्स : 0761 — 2681778
 0761 — 2681810

क./स्था.एक/विज्ञापन/2025/1236

दिनांक 30/10/2025

// संशोधन पत्र //

विज्ञापन क्रमांक IPRO/ REG./ 2025/ 72 दिनांक 03/10/2025 एवं IPRO/ REG./ 2025/ 74 दिनांक 10/10/2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक प्राध्यापक के पद हेतु अधिकतम आयु सीमा में एवं अधिष्ठाता कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय के पद हेतु अर्हताओं में आंशिक संशोधन किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 28/11/2025 तक विस्तारित की जाती है। संशोधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jnkvv.org पर उपलब्ध है।


कुलसचिव



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.) 482 004

कार्यालय : 2681778
निवास : 2681723
पी.बी.एक्स { : 2680771
 : 2681773
फ़ैक्स : 0761 — 2681778
 0761 — 2681810

क./स्था.एक/विज्ञापन/2025/ 1236(A)

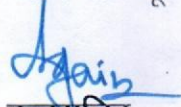
दिनांक 30/10/2025

// संशोधन पत्र //

विज्ञापन क्रमांक IPRO/ REG./ 2025/ 72 दिनांक 03/10/2025 एवं IPRO/ REG./ 2025/ 74 दिनांक 10/10/2025 के पृष्ठ क्रमांक — 10 पर आयु संबंधी कंडिका निम्नवत् संशोधित की जाती है:-

“ सहायक प्राध्यापक/सहायक ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी/ शारीरिक शिक्षा के पद हेतु समस्त आवेदकों हेतु अधिकतम आयु सीमा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.-सी/ 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 2019 के अनुसार 21 से 40 वर्ष निर्धारित रहेगी।

विज्ञापनों अंतर्गत उक्त पदों हेतु वर्णित शेष अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।


कुलसचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-8/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में संशोधन बावत ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/1/3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012, 20 नवम्बर, 2012, 13 जनवरी, 2016 एवं जाप क्रमांक सी 3-8/2016/1/3, 12 मई, 2017

सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 12 मई, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1.	खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 40	18 से 40

C. B. D. V. S.

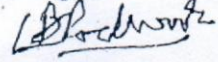
2.	अनु.जा.,अनु.जनजा. अन्य पिछड़ावर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए	21 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)	18 से 45 (अधिकतम आयु, सीमा में 05 वर्ष की छूट)
----	---	--	---

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

2/ उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन सी 3-8/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।